न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 248/2025

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. सुल्तान पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. दयाराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. अगड़ीराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. सुरजाराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. लिलूराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
6. धनवरी पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
7. हरदत पुत्र भादर राम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांक: 29/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के ख0न0 262/214, 263/214, 258/214, 260/214, 261/214 की भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण की भूमि सायलान की चिपती हुई भूमि है। गैरसायलान द्वारा सायलान की भूमि की सिंव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है एवं तारबंदी उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की सायलान की भूमि की सीवं व डोल को मिस्मार न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के ख0न0 262/214, 263/214, 258/214, 260/214, 261/214 की भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण [illegible] की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में की सीवं व डोल को मिस्मार न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:14:05 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस [illegible]ील होने के बाद भी उपस्थित नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की अप्रार्थीगण की भूमि सायलान की चिपती हुई भूमि है। गैरसायलान द्वारा सायलान की भूमि की सिंव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है एवं तारबंदी उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की सायलान की भूमि की सीवं व डोल को मिस्मार न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको व स्थाई निषेधाज्ञा का बिन्दु मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार सायल व गैरसायलान की भूमि एक दुसरे चिपते हुए है अर्थात सायलान व गैरसायलान एक दुसरे के पडौसी खातेदार काश्तकार है। सायलान का कथन है कि अप्रार्थीगण की भूमि सायलान की चिपती हुई भूमि है। गैरसायलान द्वारा सायलान की भूमि की सिंव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है एवं तारबंदी उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की गैरसायलान द्वारा सायलान की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हो उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 30.09.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:14:05 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर